भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *182

जिसका उत्तर 05.08.2026 को दिया जाना है

सड़क संकेतक और सुरक्षा चिह्नान्कन

182 श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क संकेतकों और सुरक्षा चिह्नान्कन को बेहतर बनाने हेतु कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यों की निगरानी हेतु क्या तंत्र अपनाया गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

'सड़क संकेतक और सुरक्षा चिह्नान्कन' के संबंध में श्री के. आर. एन. राजेश कुमार द्वारा पूछे गए दिनांक 05.08.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *182 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशा-निर्देशों, मैनुअल, पद्धति (प्रैक्टिस) संहिता तथा सड़क एवं पुल निर्माण संबंधी विर्निदेशों के अनुसार किया जाता है। सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय, जिनमें अन्य बातों के साथ ही दुर्घटना रोधी अवरोधक (क्रैश बैरियर), संकेतक बोर्ड, सुरक्षा चिह्नांकन, फुटओवर ब्रिज आदि शामिल हैं, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के चरणों में किए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को वाणिज्यिक यातायात के लिए खोलने से पहले नवनिर्मित सड़कों के स्वतंत्र मूल्यांकन हेतु सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा (ऑडिट) किया जाता है। सड़क सुरक्षा से संबंधित सड़क संकेतक और चिह्नांकन से जुड़े मुद्दे सहित सभी चिह्नित मुद्दों का समाधान सड़क को जनता के लिए खोलने से पहले किया जाता है। इसके पश्चात्, परियोजना राजमार्ग के संचालन के दौरान, नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है, ताकि संचालन चरण के दौरान सामने आने वाले सुरक्षा मुद्दों की पहचान की जा सके और समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क संकेतक और सुरक्षा चिह्नांकन का संबंध है, सभी सड़क संकेतकों और फुटपाथ चिह्नांकनों को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) की संहिता (कोड) अर्थात् आईआरसी:67 "सड़क संकेतकों के लिए पद्धति (प्रैक्टिस) संहिता" और आईआरसी:35 "सड़क चिह्नांकनों के लिए पद्धति संहिता" का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए संविदा करार में सड़क संकेतकों और चिह्नांकनों से संबंधित विभिन्न निष्पादन मानदंडों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। करार में ठेकेदार के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुधार करना भी आवश्यक है, ताकि बेहतर स्तर की सेवा बरकरार रखी जा सके।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में सड़क संकेतकों, फुटपाथ चिह्नांकनों आदि की दृश्यता और उनके निष्पादन का मूल्यांकन करने और यह पता लगाने के लिए "एआई आधारित डैशकैम विश्लेषण सेवाएं" पहल शुरू की है, कि क्या संकेतक और फुटपाथ चिह्नांकन संविदा या रियायत करार के संदर्भ में मानकों, विर्निदेशों और आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
